

राष्ट्रीय लोक अदालत
लोक अदालत के समक्ष
स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादी:-गोपी पुत्र छगना जाति बैरवा निवासी ग्राम सतवाडा तहसील दूनी
जिला टोंक

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी:-नायब तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक

न्यायालय अति० कलेक्टर टोंक की कार्यवाही संख्या:- 123/2016

उपस्थित:-श्री प्रदीप सक्सेना, अभि० अपीलाण्ट/श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभि० रेष्यो०


अध्यक्ष का नाम :- श्री लोकेश कुमार गौतम, अति० जिला कलेक्टर, टोंक
सदस्य का नाम :- डॉ. सुरजसिंह नेगी, उपखण्ड अधिकारी, टोंक
सदस्य का नाम :- अभिभाषक श्री ओमप्रकाश राजोरा


निर्णय


दिनांक 12.11.2016


पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता है:-

अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर पक्का निर्माण नहीं होने, कब्जा छोड़ने व भविष्य में राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की शर्त पर, राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर नायब तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2016 से अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलाण्ट पुनः अतिक्रमण करता है या पूर्व में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया हुआ है तो अतिक्रमी के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 182 की कार्यवाही अमल में लायी जावे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।


याची/वादी/परिवादी
अभिभाषक


प्रतिवादी/प्रत्यर्थी
राजकीय पेशेकार


सदस्य
अधिवक्ता


सदस्य


अध्यक्ष
अति० जिला कलेक्टर
टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

